


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. अपी/1829/11 जिला पुरू  
 उन्मुख मे. म. म. 2 ए. डी. फ्राफिस, इलनगढ़ ब्यनाम उपायुक्त (अपी) बी. काने

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2.3.15	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीत कैम्प जयपुर</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p>वकील प्रार्थी श्री अलकेश शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री एन.के. वैद उपस्थित।</p> <p>श्री शर्मा ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, वर्ष 2015 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्झा करना चाहते है। इस बाबत् श्री शर्मा ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः श्री अलकेश शर्मा एडवोकेट का अपील को विद्झा करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्झाअल खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">                       सदस्य                      राजस्थान कर बोर्ड                      अजमेर                 </div>	